मूल्य/धर्मार्थ : 1 पैसा
(केवल बहाईयों में वितरण हेतु)

बहाई समाचारपत्र

वर्ष : 56 अंक 06 प्रकाशन : प्रत्येक माह की 8 तारीख
जून 2020 बहाई वर्ष : 177

विश्व न्याय मन्दिर

अभी स्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, और समाज के कुछ तबके के लोग अपनी सहनशक्ति की सीमा के चाहे जितने करीब हों, मानवजाति अंततः इस अग्नि–परीक्षा को पार कर लेगी और पहले से बेहतर अंतर्दृष्टि एवं अपनी अंतर्निहित एकता एवं अंतर्निर्भरता के ज्यादा गहन बोध के साथ उसका उस छोर पर अभ्युदय होगा।

–नवरोज 177

कोविड–19 महामारी के दौरान बहाई मित्रों की सेवा भावना

• कोविड–19 महामारी के इस कठिन समय में जरूरतमंदों की मदद के उद्देश्य से महाराष्ट्र में स्थानीय आध्यात्मिक सभा देवलाली और सहायक मंडल सदस्य कुछ दिनों पहले दो समूहों में विभक्त होकर चार सरपंचों से मिले। सरपंचों से मिलने से पहले दलों ने वडगांव के समुदाय में बैठक की, जिसमें गांव की परिस्थिति पर चर्चा की गई। समुदाय की ओर से ऐसे परिवारों के नाम मिले जिनको इस कारण से अनाज नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं था। स्थानीय आध्यात्मिक सभा ने समुदाय द्वारा दिये गये नामों की सूची सरपंच को सौंपी और उनसे अनुरोध किया कि इन कुछ परिवारों को भी मदद मिलनी चाहिए। इसी प्रकार पांडुरली और विंचुर के सरपंचों से मिले और उनसे परिवारों की मदद का आग्रह किया।

इसी विषय पर आध्यात्मिक सभा और सहायक मण्डल सदस्य की संयुक्त बैठक हुई जिसमें योजना बनाई गई कि सरपंचों से वार्ता करनी चाहिये और सूची के अनुरूप जरूरतमंद परिवारों को अनाज मिला या नहीं इस पर विचार करना चाहिए।

पांच ग्राम पंचायत के सरपंचों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया और एक–एक करके सभी सरपंचों से परामर्श किया गया। सबसे पहले प्रार्थना की गई उसके उपरान्त वडगांव के सरपंच से विचार–विमर्श हुआ। वडगांव में 11 परिवारों के बारे में चर्चा हुई जिनको जीवनावश्यक वस्तुओं की आवश्यकता थी। इस पर सरपंच ने बताया कि वह दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण गांव में नहीं जा सके परन्तु जल्द ही उन परिवारों तक अनाज पहुंचा दिया जायेगा।

चर्चा के दौरान सरपंच ने बताया कि लगभग 19 वर्ष पहले उन्होंने एक अभियान के अंतर्गत दिव्य जीवन एक चिंतन नामक पुस्तक का अध्ययन किया था। वह पुस्तक बहुत ही प्रभावशाली है। आपकी संस्था के कार्यों को जानता हूँ समुदायों में भी लोग उनका जिक्र करते हैं। इस कठिन समय में भी आप दूसरों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे हैं निःसंदेह यह बहुत प्रशंसनीय है।

इसी प्रकार पांडुरली, विचूर और शेवगे दारणा के सरपंचों से

शेष पृष्ठ 3 पर



स्थानीय आध्यात्मिक सभा देवलाली और सहायक मंडल सदस्य आपस में विचार–विमर्श करते हुए

इस अंक में

राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के सदस्य और पदाधिकारीगण

प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व पिछले कई महीनों से कोविड–19 महामारी से जूझ रहा है। इसी कारण इस वर्ष होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को भी निरस्त करना पड़ा। बहाई विश्व को संबोधित नौरुज 177 के संदेश में विश्व न्याय मन्दिर ने इस बात का संकेत दिया था कि स्वास्थ्य संकट से भरी वर्तमान परिस्थिति प्रभुधर्म के प्रशासन पर भी प्रभाव डालेगी जिसके अंतर्गत कई जगहों पर राष्ट्रीय अधिवेशनों को भी निरस्त करना पड़ेगा तथा अन्य माध्यमों से राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना–वायरस (कोविड–19) के प्रसार के कारण राष्ट्रीय अधिवेशन को निरस्त किए जाने के बाद, राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा ने सलाहकारों के साथ इस विषय पर पुनः परामर्श किया है और अन्य विधि के माध्यम से वर्ष 2020–2021 के लिए भारत की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा का चुनाव कराया गया।

राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के निम्नांकित मित्रगण वर्ष 2020–2021 में इस संस्था के सदस्य के रूप में अपनी सेवा देने के लिए चुने गए हैं :

1. सुश्री नाज़नीन रौहानी
2. डॉ. ए. के. मर्चेन्ट
3. डॉ. नेसॉन ओल्याई
4. डॉ. मंगेश तेली
5. डॉ. मयूरी मोहाजर
6. श्री लतीफ रसीद
7. डॉ. रामसेवक यादव
8. प्रो. अनिल सारवाल
9. डॉ. एलहाम मोहाजर

साथ ही, राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा हार्दिक आभार के साथ श्रीमती जीना सोराबजी द्वारा दी गई त्यागपूर्ण सेवाओं को याद करती है जिन्होंने आध्यात्मिक सभा की सदस्यता से मुक्त किए जाने की इच्छा प्रकट की। उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए, आध्यात्मिक सभा उन अनगिनत मित्रों की प्रार्थना के स्वरों को प्रतिगुंजित करती है जो श्रीमती सोराबजी के उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं प्रभुधर्म की निरंतर सेवा की कामना करते हैं। उन्हें बहाउल्लाह के अमूल्य उपहार और उनकी कृपाएं प्राप्त हों!

भारत के बहाईयों की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के निम्नलिखित मित्रों को वर्तमान प्रशासनिक वर्ष 2020–2021 के लिए पदाधिकारी के रूप में चुना गया है।

श्री लतीफ रशीद	अध्यक्ष
सुश्री नाज़नीन रौहानी	सचिव
डॉ. नेसान ओल्याई	कोषाध्यक्ष
डॉ मंगेश तेली	उपाध्यक्ष

असम में संस्थागत बैठक का आयोजन

असम क्षेत्र में संस्थागत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आरम्भ पवित्र लेखों और प्रार्थनाओं के साथ हुआ। इस परामर्श प्रक्रिया में महाद्वीपीय सलाहकार, सहायक मण्डल सदस्य, परिषद सदस्य, प्रशिक्षण संस्थान, क्लस्टर विकास समिति और स्थानीय आध्यात्मिक सभा के समन्वयक उपस्थित रहे।

सलाहकार महोदय की आरम्भिक टिप्पणियों के बाद विश्व न्याय मन्दिर के 8 नवम्बर और 29 दिसम्बर के संदेशों का अध्ययन किया गया।

अध्ययन के दौरान, कार्य पद्धति की पहचान की गई, पांच वर्षीय योजना के समापन वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिन पर व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए आवश्यक है।

अध्ययन के बाद निम्नलिखित कुछ कार्य पद्धति की पहचान की गई :

योजना को समुदायों के समक्ष प्रस्तुत करने और चर्चा करने की आवश्यकता है और इसे कैसे लागू किया जाए, इस बारे में परामर्श होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भाग लेने के लिए प्रत्येक

शेष पृष्ठ 2 पर

असम में संस्थागत बैठक का आयोजन

पृष्ठ 1 का शेष

सदस्य का आह्वान हो।

पूरे वर्ष में कई कार्यक्रम होंगे जैसे उन्नीस दिवस पर्व, समीक्षा बैठकें, भव्य भक्तिसभा आदि। इन स्थानों में, हमें योजना के बारे में और इसे कैसे प्राप्त करें इस पर बार–बार चर्चा करनी चाहिए। इस वर्ष की योजना पर निरंतर बातचीत होनी चाहिए।

पाँच वर्षीय योजना का उद्देश्य 27 क्लस्टरों को दूसरे, तीसरे और तीसरे से आगे के मील के पत्थर पर ले जाना है।

48 क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करना–एक नाभिक को उभरने और दृढ़ करने में सहायता करने के लिए एक भ्रमण दल भेजा जायेगा।

27 क्लस्टरों में 50 से 100 बच्चों की कक्षायें और किशोर दल स्थापित करना।

संदेश के अध्ययन के बाद कुछ स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं ने अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया और उस पर परामर्श किया। तब क्लस्टरों के चार समूहों के मित्रों ने अलग–अलग बैठकर अपने निकटवर्ती समूहों के लिए इस वर्ष की योजना बनाई और उसे प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति का उत्साहजनक हिस्सा यह था कि दो समूहों, सलाकती और नाओकाटा ने 1000+ गतिविधियों तक पहुंचने के लिए विस्तृत योजना, रणनीति और तंत्र बनाया, तीन क्लस्टरों ने 300+गतिविधियाँ, चार क्लस्टरों में 150+ और बाकी बारह क्लस्टरों में 50+ गतिविधियों के लिए योजना बनाई गई।



असम में आयोजित संस्थागत बैठक के दौरान समूहों में अध्ययन और योजना बनाते हुए प्रतिभागीगण



असम में आयोजित संस्थागत बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागी



बदवार मध्य प्रदेश की सुश्री आभा पटेल और रीवा मध्य प्रदेश के श्री शत्रुघ्न सिंह का विवाह बहाई विधिविधान के अनुसार 8 मार्च, 2020 को रीवा स्थानीय आध्यात्मिक सभा के तत्वावधान में सम्पन्न हुआ।

झारखण्ड की गतिविधियाँ

• अप्रैल माह में झारखण्ड के विभिन्न समुदायों और परिवारों में इलेक्ट्रॉनिक्स साधनों की सहायता से रिज़वान एवं नवरुज़ 2020 के परिपत्रों का अध्यन्न किया गया। किसी स्थान पर मित्रों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अध्ययन किया, तो कहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से परिपत्र में निहित मार्गदर्शन को समझने का सामूहिक प्रयास किया गया। सबसे आकर्षित बात यह है कि रिज़वान एवं नवरुज़ परिपत्र के ऑडियो संगीत को अधिक–से–अधिक मित्रों तक पहुँचाया गया और इस संदेश को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुनकर समझने का प्रयास किया गया। रिज़वान एवं नवरुज़ का संदेश एक ऐसी ज्योति की भांति है जिसने संपूर्ण विश्व को इस निराशा की घड़ी में एक आशापूर्ण मार्ग दिखलाते हुए प्रोत्साहित किया है। इन परिपत्रों के अध्ययन के उपरांत स्थानीय मित्रों में एक सजगता आई है। वे प्रत्येक समय कार्य करने के नये साधन खोज रहे हैं। वास्तव में तालाबंदी के पूर्व इतने मित्र एक दूसरे से संपर्क में नहीं थे जितने की परिपत्रों एवं संस्थाओं के मार्गदर्शन के उपरांत प्राप्त दृष्टिकोण से हुआ है।

• जैसा की हम जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के प्रभाव से कोई कार्य अछूता नहीं है, परंतु इन विकट परिस्थितियों में निरंतर मार्गदर्शनों एवं परामर्शों ने मित्रों को नये तरीके खोजने हेतु प्रेरित किया। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रशिक्षण संस्थान ने एक आधारभूत स्तंभ तैयार किया, जिससे स्थानीय मित्र प्रोत्साहित होकर भाग ले रहे हैं। क्लस्टर एवं राज्य स्तरीय संयोजकों एवं सहयोगियों द्वारा आपस में निरंतर परामर्श एवं योजना के आधार पर कार्य करते हुए स्थानीय शिक्षक, अनुप्रेरक, ट्यूटर और मेजबानों के साथ वार्तालाप का फल है कि वर्तमान में झारखण्ड राज्य अंतर्गत लगभग 15 स्टडी सर्कल, 25 बहाई बाल समूह, 14 किशोर समूह एवं 61 परिवारों में नियमित भक्तिपरक सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कक्षाओं के आयोजन हेतु मित्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस कॉल, एवं परिवार अथवा समुदाय स्तर पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कर रहे हैं। इसमें हर्ष की बात यह है कि परिवार स्तर पर नयी अध्यनवृत कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय आध्यात्मिक सभा एवं सहयोगियों द्वारा अधिक–से–अधिक घरों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है।



झारखण्ड में रिज़वान संदेश का अध्ययन करते हुए मित्रगण



परिवार स्तर पर चल रही अध्यनवृत कक्षा

कोविड–19 महामारी के दौरान बहाई मित्रों की सेवा भावना

पृष्ठ 1 का शेष

जरूरतमंद परिवारों के विषय में बातचीत की गई और उन्हें सामजिक दूरी बनवाने, राशन बांटने या अन्य प्रकार की मदद देने का आश्वासन दिया, जिसकी सभी सरपंचों ने सराहना की।

सभी सरपंचों के साथ विचार–विमर्श करने के बाद सहायक मण्डल सदस्य ने सरपंचों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आपके गांवों में चल रही बहाई गतिविधियों से आप भलीभांति परिचित हैं। पूर्णबंदी समाप्त होने के बाद ये गतिविधियाँ और भी तीव्र गति से आगे जाने वाली हैं और समुदायों के आध्यात्मिक चरित्र में बदलाव आने वाला है।

पूर्णबंदी समाप्ति के बाद लगातार आपके गांवों में आएंगे और गतिविधियों को पूर्ववत होने के लिए प्रयत्न करेंगे। इस प्रयत्न के दौरान शेवगे दारणा में हमारी योजना बहाई कक्षा शुरू करने की है, जिसमें सभी बच्चे नियमित आएंगे और अपनी भौतिक और नैतिक कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। इस कार्य के लिए हमें एक स्थान की आवश्यकता होगी जिसके लिए आध्यात्मिक सभा ग्राम पंचायत से परामर्श करके इसमें मदद करने का निवेदन करेगी। इससे आपके गांव की आध्यात्मिकता का स्वरूप बढ़ेगा और समुदाय का जीवन आनंदमय बनेगा।

• कोविड–19 महामारी के कारण असम के बहाई मित्रों को जब पता चला कि क्षेत्र में तालाबंदी लागू होते ही स्थिति गंभीर हो गई है और गाँव तथा आसपास आबादी के कमजोर वर्गों के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, तो एक बहाई ने एक युवा बहाई और 7 अन्य युवाओं के साथ बात की, जो नाओकाटा क्लस्टर में रहते हैं। उन्होंने वर्तमान स्थिति के बारे में और संभवतः ऐसे समय में क्या किया जा सकता है, इस पर परामर्श किया। यह महसूस किया गया कि तत्काल ऐसे परिवारों की पहचान की जाये जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए खाद्य सामग्री की किट वितरित की जाये। तीन अलग–अलग स्तरों पर तुरंत उन परिवारों की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया गया। सूची के पहले स्तर के लिए योगदान स्वयं युवाओं द्वारा उठाया गया था। इस सूची में लगभग 55 ऐसे परिवार शामिल थे, जिनमें परिवार को चलाने वाला कोई पुरुष सदस्य नहीं था।

इस योजना के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी के साथ–साथ स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य चिकित्सक से बातचीत की, जिन्होंने न केवल इन प्रयासों के पीछे की सोच की सराहना की, बल्कि परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित करने के लिए साथ जुड़े।

सूची के अगले स्तर में दैनिक मजदूरी वाले खेत श्रमिकों के परिवार शामिल थे। 7 गांवों से लगभग 600 परिवारों को सूचीबद्ध किया गया। एक पत्रकार की मदद से क्षेत्र के सांसद से जुड़े, उन्होंने भी बहुत रुचि दिखाई और मदद की। इस सूची में पहली सूची के परिवारों को भी शामिल किया गया क्योंकि उन्हें प्रदान की गई सामग्री लगभग समाप्त होने को थी। दूसरी सूची के इन परिवारों को खाद्य सामग्री किटों की आपूर्ति की जा रही थी। इन परिवारों को खाद्य सामग्री की किटों की आपूर्ति के वितरण के लिए 10 युवाओं को शामिल किया गया। यह एक मुश्किल कार्य था, इसलिए ग्राम प्रधान–सरपंच के साथ बातचीत की, जो जरूरतमंद परिवारों को सामग्री किट वितरित करने के लिए हमारे साथ आए।



असम के मित्रगण जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री देते हुए

वितरण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर पूरी प्रक्रिया में शामिल थे, जिससे अधिक से अधिक परिवारों को स्वस्थ और सुरक्षित रहने के उपायों के बारे में पता चल सके। उन्हें चार गाँवों में ले जाया गया, जहां उन गरीब परिवारों तक पहुँचने में मदद की, जो इस बात से अनजान थे कि वर्तमान में पूरी दुनिया किस स्थिति से गुजर रही है और इस स्थिति का सामना कैसे करें।

परिवारों की एक तीसरी सूची तैयार की गई, जिसमें किसान, बढ़ई, नाई, सब्जी विक्रेता इत्यादि शामिल थे। तीसरी सूची में पहली और दूसरी सूची के परिवारों को भी शामिल किया गया क्योंकि उन्हें प्रदान की गई किराने की किट इस समय तक समाप्त होने को थी। उनके लिए अधिक मदद की आवश्यकता थी।



लोगों के हाथों को संक्रमण मुक्त कराते हुए असम में युवा

कई वर्षों में सामुदायिक निर्माण प्रक्रिया में हमारी अंतरंग भागीदारी ने हमें उन गाँवों में स्थितियों की गहरी समझ हासिल करने में सक्षम बनाया है और इससे हमें वर्तमान संकट का प्रभावी ढंग से जवाब देने में मदद मिली। अतीत में हासिल की गई कुछ क्षमताओं और ऐसा करना जारी रखना हमारे गांवों में वास्तविकता और स्थितियों के आधार पर सरल व्यावहारिक योजनाओं को तैयार करना संभव हो गया है; हमारी योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक और धार्मिक बाधाओं के बावजूद हर व्यक्ति को अंगीकार करना; एकता की भावना को बढ़ावा देने वाली छोटी टीमों में बनने और काम करने में सक्षम होना; सामाजिक संस्थाओं और नेताओं के साथ सहयोग और मिलकर कार्य करना; गाँव और आसपास के स्तर पर समाधान, संसाधनों और विशेषज्ञता का पता लगाना और पहचानना; और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए अपनी योजनाओं और दृष्टिकोण को परिष्कृत करना जारी रखें। अतीत में हमने अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए समान सहयोगात्मक प्रयास किए हैं, उदाहरण के लिए ग्राम समुदाय ने त्यौहार के दौरान जुआ खेलने की अनुमति न देने का फैसला किया। शराबबंदी की विकराल समस्या के समाधान के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाने की सोच रहे हैं।

• झारखण्ड के पटमदा एवं आसनबनी की स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं द्वारा अपने समुदाय में तालाबंदी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद की गयी। सर्वप्रथम स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं ने अपनी बैठक में इस संकट की घड़ी में स्थानीय

शेष पृष्ठ 4 पर



आसनबनी स्थानीय आध्यात्मिक सभा के सदस्य गांव वालों को कोविड–19 से बचाव के बारे में बताते हुए

Regd. No. DELHIN / 1966 / 04204 | Delhi Postal Regd No. DL (ND) 11/6036/2018-19-20
New Delhi P.S.O. | Licensed to post without pre-payment No. U (C)-52/2018-19-20

बहाई अंत्येष्टि–क्रिया के संबंध में बहाउल्लाह का विधान

बहाई अंत्येष्टि–क्रिया के विधानों का सिंहावलोकन और इनकी उपयुक्तता

शवपेटी

प्रभु ने आदेश दिया है कि मृतक को स्फटिक, कठोर और प्रतिरोधी पत्थर अथवा उत्कृष्ट औंर टिकाऊ लकड़ी से बने बक्से में रखा जाये...

(बहाउल्लाह, किताब–ए–अक़दस, गद्यांश 128)

जैसा आप जानते हैं, 'किताब–ए–अक़दस' के गद्यांश 128 में कहा गया है कि "...मृतक को स्फटिक, कठोर और प्रतिरोधी पत्थर अथवा उत्कृष्ट और टिकाऊ लकड़ी के बक्से में रखा जाये।" ऐसी परिस्थिति में जब मित्रगण इन खास चीजों से बनी शव–पेटी का इस्तेमाल करने में असमर्थ हों, क्योंकि ये सब भूमिगत करने के स्थान पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तब विश्व न्याय मंदिर ने टिप्पणी संख्या 149 का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि "इस प्रावधान का महत्व यह था कि इसके माध्यम से मानव–शरीर, जो कभी "अमर मानवात्मा से गौरवान्वित था, के प्रति सम्मान की भावना प्रकट होती है।" इसलिये, "इस विधान का आशय यह है कि वह पदार्थ अत्यधिक मजबूत हो।" वर्तमान में इस विषय में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रत्येक बहाई को प्राप्त है।"

(विश्व न्याय मंदिर की ओर से एक बहाई दम्पति को 7 जनवरी 2002 को लिखे गये पत्र से)

आपने "हरित दफन–क्रिया" की सम्भावनाओं के बारे में लिखा है, जिसका तात्पर्य सम्भवतः यह है कि किसी कार्डबोर्ड की शवपेटिका अथवा बिना किसी शवपेटिका के यूं ही शव को भूमिगत कर दिया जाये ताकि जैव अवक्रमण के सहारे वह मिट्टी में मिल जाये। जैसाकि 'किताब–ए–अक़दस' के गद्यांश 128 में विधान दिया गया है "मृतक को स्फटिक, कठोर और प्रतिरोधी पत्थर अथवा उत्कृष्ट और टिकाऊ लकड़ी के बक्से में रखा जाये" वह पश्चिम के अनुयायियों पर फिलहाल लागू नहीं होता, किन्तु, विधान की भावना यह है कि शवपेटिकाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिये और ऐसी सामग्री से उसे बनाया जाये जो जितना सम्भव हो सके, टिकाऊ हो। इस मार्गदर्शन के साथ अनुयायी अपना निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र है।

(विश्व न्याय मंदिर की ओर से एक अनुयायी को 21 दिसम्बर 2011 को लिखे गये पत्र से)

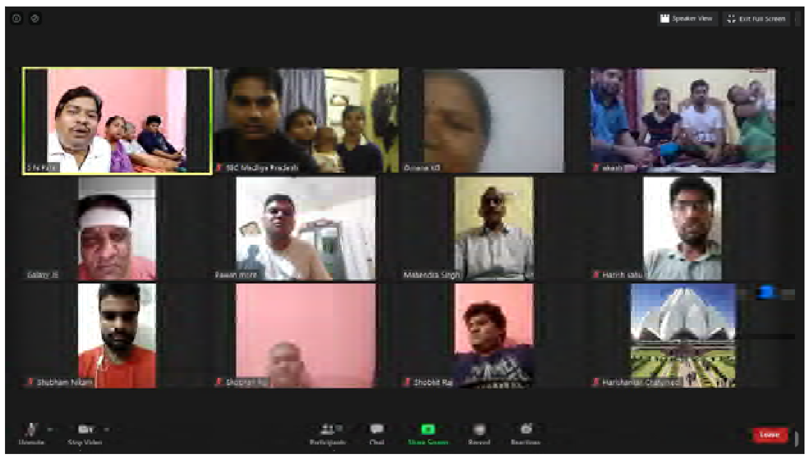
...हालाँकि शवपेटिका में भूमिगत करना विश्वव्यापी रूप से अनुयायियों पर बाध्यकारी है, लेकिन शवपेटिका किस प्रकार की सामग्री की हो, यह पश्चिम के बहाइयों पर फिलहाल लागू नहीं होता। बहाई विधान जहाज से जलसमाधि की चर्चा कहीं नहीं करता; इसका उपयोग मृतक के परिवारजनों के निर्णय पर निर्भर करता है, ऐसी परिस्थिति में जब वहाँ का नागरिक कानून अथवा कुछ समाधिस्थलों के जब नियम के अनुकूल नहीं हों। अगर यह तरीका ही अपनाया जाता है तब भी 'किताब–ए–अक़दस' का यह विधान कि मृतक को शवपेटिका में रखा जाये, अवश्य ही लागू किया जाना चाहिए।

(विश्व न्याय मंदिर की ओर से एक अनुयायी को 12 जून 2016 को लिखे गये पत्र से)

क्रमशः

बहाउल्लाह के महाप्रयाण दिवस पर प्रार्थनायें

भोपाल के बहाई समुदाय ने ''जूम'' पर 27 मई रात्रि 2 बजे से 4 बजे भोर तक एक कार्यक्रम आयोजित कर बहाई धर्म के संस्थापक युगावतार बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण दिवस पर विशेष प्रार्थनायें व पाठ करते हुए उन्हें व उनके उनके जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया कि किस प्रकार से बहाउल्लाह ने पूरी मानवजाति की भलाई के लिये लेख व नियम प्रदान किये हैं। स्थानीय सभा के सचिव ने बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण से पूर्व के दृश्य पर प्रकाश डाला।



'जूम' के माध्यम से भोपाल में आयोजित प्रार्थना सभा के प्रतिभागी

अंतिम दिनों को याद कर श्रद्धा–सुमन अर्पित किये। कई परिवार जो जूम में नहीं जुड़ सके उन्होंने रात्रि जागरण कर उन्हें स्मरण कर अपनी श्रद्धांजलि दी।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थनाओं से हुआ, तदोपरान्त बहाउल्लाह के जीवन के अंतिम दिनों के बारे में, सभी अनुयायियों ने खड़े होकर बहाउल्लाह की समाधि की ओर मुखाग्र होकर विशेष प्रार्थना 'तीर्थ यात्रा की पाती' कर अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में सम्पूर्ण मानवजाति की एकता व भलाई के लिए कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए याचना की।

कोविड–19 महामारी के दौरान बहाई मित्रों की सेवा भावना

पृष्ठ 3 का शेष

परिवारों की मदद हेतु परामर्श किया। परामर्श के उपरांत पटमदा की स्थानीय आध्यात्मिक सभा ने अपनी क्षमता के आधार पर बारूबेड़ा समुदाय में छः जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण सरकार द्वारा निर्देशित नियमों एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्थानीय कोष की सहायता से किया। आसनबनी की स्थानीय आध्यात्मिक सभा ने भी अपने समुदाय आसनबनी के 100 परिवारों में मास्क, साबुन, और खाद्य सामग्री का वितरण किया और उन परिवारों को महामारी से बचाव एवं सरकार के दिशानिर्देशों से अवगत कराया। जमशेदपुर की स्थानीय आध्यात्मिक सभा के सदस्यों ने कदमा समुदाय के 51 जरूरतमंद परिवारों को माननीय विधायक से राशन दिलाया। इसी प्रकार झारखण्ड राज्य में सेवारत स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास एवं बहाई मित्रों, परिवारों द्वारा समुदाय की सेवा विभिन्न रूपों में अपने सामर्थ्य के आधार पर की जा रही है।

कुल पृष्ठ संख्या–4

बहाई समाचारपत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित फार्म – 4, नियम 8

समाचार का नाम : बहाई समाचारपत्र
रजि नं. : DELHIN / 1966 / 4204 यू नं. (C)-52/2018-19-20
डी.एल. DL (ND) 11/6036/2018-19-20
प्रकाशक का नाम : सुशील कुमार (भारतीय)
(बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1)
प्रकाशन स्थान : बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1

मुद्रक का नाम : सुशील कुमार (भारतीय)
बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1
मुद्रण स्थान : श्री मंगलम प्रिंटर्स, एफ–25, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110020
उन व्यक्तियों के नाम जो समाचारपत्र स्वामी हों : राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को इसका स्वामित्व प्राप्त है, जो सोसायटीज़ एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है।

Licenced to post without Pre-Payment Posted at CPSO New Delhi on 10/11.06. 2020
Sender's Address:
6, Shrimant Madhavrao Scindia Marg.
New Delhi - 110 001 - INDIA

स्वामी, भारत के बहाईयों की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा, जो सोसायटीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है, के लिए प्रकाशक, मुद्रक : सुशील कुमार के द्वारा श्री मंगलम प्रिंटर्स, एफ–25, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110 020 से मुद्रित एवं बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित (सम्पादक : सुशील कुमार)